

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, पालारिवट्टम.
कोच्चिन -682 025,
केरल

सं.विपणन-एसपी/गुना/एलओपीजी/2020/1555

05.07.2024

स्पाइसेस पार्क, गुना, मध्यप्रदेश में पफ गोदाम का पट्टे पर देने के लिए बोली का आमंत्रण

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्यप्रदेश के गुना जिले में एक मसाला पार्क स्थापित किया है। मसाला पार्क में परिसर की दीवार, आंतरिक सड़के, अबाध जल एवं विद्युत आपूर्ति, 33 केवी विद्युत लाइन, आदि जैसे सामान्य सुविधाओं के अलावा बीजीय मसालों के प्रसंस्करण, भंडागार, पफ गोदाम जैसे सामान्य अवसंरचना सुविधाएं भी हैं।

स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित पात्रता और निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पार्क में उपलब्ध पफ गोदाम सुविधा के संचालन के लिए पात्र फर्मों से बोलियाँ आमंत्रित करते हैं।

पात्रता

निम्नलिखित बोलियाँ प्रस्तुत करने के पात्र हैं:

- क) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का वध्द प्रमाण पत्र (सीआरईएस) रखने वाले मसाला निर्यातक।
- ख) वध्द जीएसटी पंजीकरण रखनेवाले मसाला व्यापारी।
- ग) कोरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई वध्द पंजीकरण रखने वाले किसान उत्पादक कंपनियां
- घ) जिन्स बाज़ार
- ङ) केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगम

निबंधन व शर्तें

- 1) पफ गोदाम 'जैसा है जहाँ है' शर्त पर किराए पर दी जाएगी।
- 2) संचालित किए जाने वाले पफ गोदाम का विवरण नीचे दिया गया है
 - क) कक्षों की संख्या 4
 - ख) कक्ष 1 और 2 विस्तार 9.06मी x 7.8मी x 3.5मी
 - ग) कक्ष 3 और 4 विस्तार 9.06मी x 10.1मी x 3.5मी
 - घ) भंडारण के लिए उपलब्ध □ अधिकतम परिमाण 1135.22क्युबिक मीटर
- 3) पफ गोदाम को करार के बाद सौंपने की तारीख से तीन साल की □ वधि के लिए किराए पर दिया जाएगा। किराया प्रति वर्ष 10 प्रतिशत के दर से बढ़ाया जाएगा।

- 4) 18 प्रतिशत जीएसटी सहित पट्टा किराया का भुगतान बोर्ड को हर महीने के पाँचवे तारीख या उससे पहले □ ग्रिम भुगतान किया जाएगा।
- 5) पफ गोदाम का उपयोग बीजीय मसालों के भंडारण के लिए किया जाएगा। हालाँकि, मसालों के साथ □ न्य कृषि वस्तुओं का भी भंडारण किया जा सकता है।
- 6) पफ गोदाम का उपयोग □ नाज और गैर-कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए नहीं किया जाएगा।
- 7) पफ गोदाम का उपयोग ज्वलनशील, दहनशील या खतरनाक विस्फोटक पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 8) पफ गोदाम उस आवेदक को पट्टे पर दिया जाएगा जिसने प्रति माह उच्चतम किराए की राशि उद्धृत किया है।
- 9) उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदक को बोर्ड से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के □ंतर बोर्ड के साथ एक करार निष्पादित करना होगा।
- 10) उच्चतम बोली लगाने वाले को, प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के बाद, बिजली, किराया आदि के किसी भी □ वैतनिक भुगतान के खिलाफ गारंटी के तौर पर तीन महीने के किराए के बराबर ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा और रु. 2,00,000/- की जमानत राशि का भुगतान बोर्ड के प्राप्ति खाते में ऑनलाइन बैंक □ंतरण के माध्यम से करना होगा।
- 11) बोर्ड को पफ गोदाम सौपते समय प्रतिभूति राशि और जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
- 12) उच्चतम बोली लगाने वाले को करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के □ंतर और प्रतिभूति राशि जमा करने के बाद पफ गोदाम पर कब्जा कर लेना होगा। यदि करार की तारीख से 15 दिनों के □ंतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो इसे निविदा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और बोर्ड को □ न्य पात्र फर्म/□ भिकरण को सुविधा पट्टे पर देने का □ अधिकार है।
- 13) पफ गोदाम का उपयोग केवल इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसी □ न्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 14) करार की □ वधि के दौरान, किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को लिखित रूप से तीन महीने का सूचना देकर करार को समाप्त करने का □ अधिकार होगा।
- 15) पफ गोदाम किसी □ न्य फर्म को उप किराए पर नहीं दी जाएगी।
- 16) स्पाइसेस बोर्ड भुगतान करने के आधार पर पफ गोदाम के उपयोग के लिए जल और बिजली उपलब्ध कराएगा। इसका शुल्क बोर्ड को बिल प्राप्त होने के 10 दिनों के □ंतर भुगतान किया जाएगा।
- 17) बोर्ड से लिखित □ नुमति के बिना पफ गोदाम में किसी भी परिवर्तन/संरचनात्मक संशोधन/□ तिरिक्त निर्माण की □ नुमति नहीं दी जाएगी।
- 18) बोर्ड या उसके प्राधिकृत □ अधिकारी को पट्टेदार को पूर्व सूचना देकर सभी उचित समय पर पफ गोदाम का निरीक्षण करने का □ अधिकार होगा।
- 19) पट्टेदार □ पनी लागत पर मामूली विद्युत मरम्मत, प्रतिस्थापन आदि सहित पफ गोदाम का नियमित रखरखाव करने के लिए सहमत होगा।
- 20) यदि सुविधाओं का तीन महीने से □ अधिक समय तक लगातार उपयोग नहीं किया जाता है तो बोर्ड पट्टा करार समाप्त कर देगा।

- 21) बोर्ड संलग्नक IV में संलग्न विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह के अनुसार पफ गोदाम के लिए विद्युत शुल्क के हिस्से का गणना करेगा।
- 22) ऐसी फर्म/कंपनी या अन्य संस्थाएं जिनका बोर्ड के पास कोई भुगतान बकाया (लंबित) है, वे बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं है और यदि ऐसी फर्म/कंपनियाँ या अन्य संस्थाएं बोली प्रस्तुत किया हो तो उसे खोला नहीं जाएगा।
- 23) पफ गोदाम के संचालन में केन्द्र/राज्य भंडारण निगमों और मसालों के निर्यातकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 24) सुविधा सौंपने के लिए निष्पादित किए जाने वाले करार में विस्तृत निबंधन व शर्तें शामिल की जाएगी।
- 25) जो लोग पफ गोदाम में दौरा करना चाहते हैं, वे गुना में स्पाइसेस बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय के निम्नलिखित पते पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

सहायक निदेशक,
स्पाइसेस बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय,
मसाला पार्क, मावन,
गुना-473 001
मध्य प्रदेश
फोन: 9415312330

- 26) बोली प्रस्तुत करने के लिए ईएमडी लागू नहीं है। हालाँकि, बोलीदाताओं को संलग्नक-11 में दिए गए निर्धारित प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- 27) तकनीकी बोली संलग्नक-1 के अनुरूप दिए गए प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा के साथ एक एक लग लिफाफे में जिसके ऊपर तकनीकी बोली लिखा हो, प्रस्तुत की जाएगी। (लिफाफा-1)
- 28) वित्तीय बोली संलग्नक-111 के अनुरूप दिए गए प्रारूप में एक एक लग लिफाफे में जिसके ऊपर वित्तीय बोली लिखा हो, प्रस्तुत की जाएगी। (लिफाफा-2)
- 29) इच्छुक पात्र आवेदक एक पनी बोलियाँ भाग-1 और भाग-11 में दिए गए प्रारूप में दो एक लग-एक लग सीलबंध लिफाफों में जिसके ऊपर भाग-1 (बोली आवेदन) और भाग-11 (वाणिज्य बोली) लिखा हो और दोनो बोलियाँ एक लग-एक लग सीलबंध लिफाफों में रखना चाहिए जिसके ऊपर "मसाला पार्क, गुना में पफ गोदाम को पट्टे पर देने के लिए बोली" लिखा हो और निम्नलिखित पते पर 25.07.2024 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त होना है।

सहायक निदेशक,
स्पाइसेस बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय,
मसाला पार्क, मावन,
गुना-473 001
मध्य प्रदेश

- 30) तकनीकी बोली 30.07.2024 को सुबह 10.30 बजे स्पाइसेस बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय, गुना में बोलीदाताओं, यदि कोई हो तो, के समक्ष, खोली जाएगी। तकनीकी बोलियों के ँनुसार पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोली 31.07.2024 को सुबह 11.30 बजे खोली जाएगी।
- 31) बोर्ड बिना कारण बताए किसी या सभी बोलियों को ँ स्वीकार/रद्द करने का ँधिकार रखता है। इस बोली के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय ँंतिम और बाध्यकारी है।

स्थान: कोच्ची

तारीख: 05.07.2024

ह.

निदेशक(विपणन)

भाग-1**संलग्नक-1**

मसासा पार्क, गुना में पफ गोदाम किराए पर देने के लिए बोली प्रस्तुत करने की आवेदन पत्र
(अलग लिफाफे में रखा जाए)

1	आवेदक का नाम	
2	पिनकोड सहित पता, ईमेल, मोबाइल सहित फोन संख्या	
3	श्रेणी (कृपया अंकित करें)	वैध सीआरईएस रखने वाले मसाला निर्यातक मसालों के साथ सौदा करने वाले किसान उत्पादक कंपनी मसाला व्यापारी जिन्स बाज़ार केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगम
4	संलग्न सहायक दस्तावेज़ (कृपया अंकित करें)	मसाला निर्यातक - मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र (सीआरईएस) मसाला व्यापारी - जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र किसान उत्पादक कंपनी - पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रतिलिपि जिन्स बाज़ार केन्द्रीय/राज्य भंडारण निगम
5	आवेदक का पीएन संख्या (कृपया सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें)	
6	जीएसटी पंजीकरण का विवरण (कृपया सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें)	
7	कारोबार का प्रकार और अनुभव	
8	वर्तमान व्यवसाय का वार्षिक कुल बिक्री	
9	गोदाम में भंडारित करने का प्रस्तावित मसाला	
10	गोदामों/कोल्ड भंडारण/पफ गोदाम को संभालने का अनुभव, यदि कोई हो तो	
11	बैंक विवरण	खाते का नाम: खाता संख्या: बैंक का नाम: आईएफएससी कोड:
12	अन्य जानकारी	

स्थान:

तारीख:
हस्ताक्षर)

(आवेदक के

कंपनी की मुहर

(फर्म के लैटर हैड में)
बोली-सुरक्षा घोषणा

निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध
भवन, एन.एच. बाई पास,
पालारिवट्टम, कोच्चिन,
केरल- 682025

संदर्भ:

स्पाइसेस बोर्ड के _____ के लिए निविदा सूचना।
.....स्पाइसेस पार्क में _____ सुविधा के लिए हमारी
बोली
दिनांक.....

मैं/हम..... अप्रतिसंहरणीय रूप से निम्नानुसार घोषित करता/करती हूँ/करते हैं:

मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि, निविदा के खंड के अनुसार, हम बयाना जमा (ईएमडी) के बदले एक बोली सुरक्षा घोषणा संलग्न कर रहे हैं।

मैं/हम एतद्वारा स्वीकार करता हूँ /करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम आपके साथ किसी भी करार के लिए बोली लगाने से अयोग्यता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य हो सकते हैं जैसा कि आपके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है (क्षति या किसी अन्य कानूनी सहारा दावा करने के स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) यदि,

- 1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहा/रही हूँ/रहे हैं
- 2) मैं/हम बोली के फॉर्म में निर्धारित बोली वैधता अवधि या विस्तृत अवधि के दौरान मेरी/हमारी बोली वापस किया जाता/जाती/जाते / है/हैं या एकपक्षीय रूप से आशोधित/संशोधित/पुनरीक्षित किया जाता/जाती/जाते / है/हैं, यदि कोई हो तो।
- 3) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा हमारी बोली स्वीकार करने पर, मैं/हम करार निष्पादित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा जमा जमा करने में विफल रहा/रही/रहे या निबंधन और शर्तों के अनुसार और विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन प्रारंभ करने में विफल रहा/रही/रहे ।

हस्ताक्षर:

बोली-सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम

दिनांक _____ दिन _____ माह, _____ वर्ष।

21. बोर्ड बिना कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार रखता है।

तारीख:

स्थान: कोच्ची

निदेशक (विपणन)

भाग-॥

संलग्नक-॥॥

वित्तीय बोली
(अलग सीलबंध लिफाफे में रखा जाए)

1	पफ गोदाम के लिए प्रति माह पट्टा का किराया	किराया राशि : रु जी.एस.टी (18%) : रु कुल : रु
---	---	---

स्थान:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

कंपनी की मुहर:

मसाला पार्क, गुना में पफ गोदाम के लिए बिजली के हिस्से की गणना

स्पाइसेस पार्क, गुना की कुल संविदा मांग :100 किलोवाट

पफ गोदाम के वर्तमान संविदा मांग: 25 किलोवाट (वास्तविक लोड स्थिति के अनुसार बदल सकती है)

विद्युत शुल्क – वर्तमान में 9% - (विद्युत बिल के मूल्य के अनुसार बदल सकती है)

पफ गोदाम के लिए निर्धारित गुणन कारक – 20

1. निर्धारित शुल्क (100% निर्धारित शुल्क की बजाय, विद्युत विभाग 90% चार्ज कर रहा है):

$25 \times 0.9 \times$ विद्युत बिल के अनुसार निर्धारित शुल्क इकाई दर

2. ऊर्जा शुल्क:

उप मीटर रीडिंग के अनुसार पफ गोदाम के लिए कुल इकाई $\times 20 \times$ विद्युत बिल के अनुसार इकाई शुल्क

3. 9 % के दर में विद्युत शुल्क - उप मीटर रीडिंग के अनुसार कुल इकाई $\times 20 \times 0.09 \times$ विद्युत बिल के अनुसार इकाई शुल्क

4. यदि मशीन संचालित नहीं की जाती है, तो पफ गोदाम पर 50 इकाई/किलोवाट दर में शुल्क लागू होगा :
पफ गोदाम के संविदा मांग (यानि वर्तमान में 25 किलोवाट) $\times 50$ इकाई/किलोवाट \times विद्युत बिल के अनुसार इकाई शुल्क

टीएमएम अंतर:

क) यदि मशीन संचालित नहीं की जाती है, पफ गोदाम के संविदा मांग यानि वर्तमान में 25 किलोवाट) $\times 50$ इकाई/किलोवाट (यानि वर्तमान में 1250 इकाई) लागू होगा।

ख) यदि उपभोग निर्दिष्ट सीमा से नीचे है (यानि वर्तमान में 1250 इकाई) मशीन चलाने के बाद भी, निर्दिष्ट सीमा से कम इकाइयों के लिए टीएमएम अंतर लागू किया जाएगा [उदाहरण 1250- (उप मीटर रीडिंग के अनुसार इकाइयाँ $\times 20$)]

पफ गोदाम के लिए बिजली का कुल हिस्सा: $1+2+3+4$